



# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक-5, ८० राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर  
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17  
www.rajsmsa.nic.in  
फोन नं: ०१४१-२७१५५६० ईमेल- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : अ.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / २०२१-२२ / ९५५९

दिनांक : १७.८.२०२१

## दिशा-निर्देश (सत्र २०२१-२२)

### वातावरण निर्माण कार्यक्रम

#### प्रस्तावना :-

राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को मुख्यधारा में समायोजन, समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण, भेदभाव को रोकने, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करने, इनके अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु "वातावरण निर्माण कार्यक्रम" का आयोजन समस्त जिला मुख्यालय पर दिनांक 2-3 दिसंबर, 2021 को किया जाना है।

#### उद्देश्य :-

#### वातावरण निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नानुसार है :-

- CWSN के प्रति समाज में सकारात्मक सोच का निर्माण करना।
- CWSN का मुख्यधारा में समायोजन हेतु वातावरण तैयार करना।
- अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर, उनका उत्साहवर्द्धन करना।
- अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
- बेहतर समझ विकसित करके, उनके सम्मान व कल्याण हेतु समुदाय को प्रोत्साहित करना।

#### कार्यक्रम आयोजन कमेटी का गठन :-

कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु निम्नानुसार जिला मुख्यालय पर एक कमेटी गठित की जाएगी :-

• जिला कलक्टर के प्रतिनिधि	-	अध्यक्ष
• जिला समाज कल्याण अधिकारी	-	सदस्य
• जिला परियोजना समन्वयक, समसा	-	सदस्य
• अतिथि जिला परियोजना समन्वयक, समसा	-	सदस्य सचिव
• सहायक परियोजना समन्वयक, समसा	-	सदस्य
• कार्यक्रम अधिकारी (आईईडी)	-	सदस्य
• जिले में निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य करने वाले दो गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	-	सदस्य

उक्त कमेटी द्वारा कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु समस्त व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएंगी।

दो दिवसीय वातावरण निर्माण कार्यक्रम का आयोजन निम्नानुसार किया जायेगा :-

## प्रथम दिवस (02.12.2021)

विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को सम्बलन एवं उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से आयोज्य वातावरण निर्माण कार्यक्रम के प्रथम दिवस की समय सारणी निम्नानुसार है।

**नोट :-** इस वर्ष इस गतिविधि को **Online** आयोजित करवाया जाना है। अतः वातावरण निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों में **Online** होने वाली गतिविधियों का ही आयोजन करवाया जाये।

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	समय
1	रजिस्ट्रेशन	9.30 से 10.00 तक
2	उद्घाटन	10.00 से 10.30 तक
4	टीम गठन	10.30 से 11.30 तक
5	जलपान	11.30 से 11.45 तक
6	श्रवणबाधित, मानसिक विमन्दित एवं अस्थि विकलांग बालक-बालिकाओं की विभिन्न खेल प्रतियोगिताएँ	11.45 से 1.30 तक
7	भोजन	1.30 से 2.30 तक
8	दृष्टिबाधित बालक-बालिकाओं के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएँ	2.30 से 4.00 तक
9	जलपान	4.00 से 4.15 तक
10	समस्त श्रेणियों के विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के लिए निबंध लेखन, कवीज प्रतियोगिता, पोस्टर निर्माण, पेन्टिंग आदि प्रतियोगिताएँ	4.15 से 6.00 तक

### प्रथम दिवस गतिविधि विवरण :-

वातावरण निर्माण कार्यक्रम के दौरान प्रथम दिवस में निम्नानुसार कीड़ा प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेगी :-

- मानसिक विमन्दित बालक-बालिकाओं हेतु :-

#### (अ) सामूहिक गतिविधियाँ

✓ रुमाल झपट्टा, सामूहिक नृत्य, कोलाज वर्क, चित्रकला

#### (ब) एकल गतिविधियाँ

✓ तेज चाल, गुब्बारा फोड़, एकल नृत्य, विचित्र वेशभूषा

- श्रवण बाधित बालक-बालिकाओं हेतु :-

#### (अ) सामूहिक गतिविधियाँ

✓ खो-खो, समूह नृत्य, रस्सा कशी, जलेबी दौड़, चम्मच दौड़

#### (ब) एकल गतिविधियाँ

✓ दौड़ - 50 मीटर एवं 100 मीटर, पोस्टर प्रतियोगिता, एकल नृत्य, विचित्र वेशभूषा

- अस्थि विकलांग बालक-बालिकाओं हेतु :-

#### (अ) सामूहिक गतिविधियाँ

✓ रुमाल झपट्टा, समूह गान, कुर्सी दौड़, छोंक जमाना

✓

### (ब) एकल गतिविधियाँ

✓ ट्राई साईकिल दौड़, बैसाखी दौड़, पोस्टर प्रतियोगिता, एकल गायन

### • दृष्टिबाधित बालक-बालिकाओं हेतु :-

#### (अ) सामूहिक गतिविधियाँ

✓ रस्साकशी, समूह गायन,

#### (ब) एकल गतिविधियाँ

✓ तेज चाल - 50 मीटर, दिशा ज्ञान, एकल गायन,

#### (स) अन्य गतिविधियाँ :-

- ब्रेल लेखन प्रतियोगिता :-यह प्रतियोगिता सिर्फ दृष्टिबाधित बालक-बालिकाओं हेतु आयोजित की जायेगी। उक्त प्रतियोगिता में ब्रेल लेखन हेतु बालक-बालिकाओं को कक्षा के स्तर के अनुसार पाठ्य पुस्तकों में से वाक्य/पैरा का डिक्टेशन देते हुए इन्हे ब्रेललिपि में लिखवाया जायेगा। तत्पश्चात् उक्त बालक-बालिकाओं को ही उनके द्वारा लिखे गये वाक्य/पैरा को पढ़वाया जायेगा तथा दिये गये डिक्टेशन से वाक्य/पैरा का मिलान करते हुए उक्त में पायी गई त्रुटियों के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान का चयन किया जायेगा।
- ब्रेल पठन प्रतियोगिता :-ब्रेल पठन प्रतियोगिता हेतु पूर्ण दृष्टिबाधित बालक-बालिकाओं को कक्षानुसार ब्रेल पुस्तकों के माध्यम से पठन करवाया जायेगा तथा बालक-बालिका द्वारा पठन किये गये विषय का प्रिन्ट वाली पाठ्य पुस्तकों से मिलान करते हुए त्रुटियों के आधार पर विजेता का चयन निर्णयक मण्डल द्वारा किया जायेगा।
- स्पर्श कौशल (**Tactile Skill**):- संबंधी प्रतियोगिता :-इस प्रतियोगिता के अन्तर्गत पूर्ण दृष्टिबाधित बालक-बालिकाओं हेतु निम्नांकित प्रतियोगिताएं आयोजित करवायी जायेंगी -
  - ◆ करेन्सी नोट एवं सिक्कों की पहचान :- उक्त प्रतियोगिता में पूर्ण दृष्टिबाधित बालक-बालिकाओं को विभिन्न करेन्सी नोट एवं सिक्कों को स्पर्श कर पहचानने हेतु दिया जायेगा।
  - ◆ विभिन्न प्रकार के एवं **Texture** आकार की वस्तुओं की पहचान- बालक-बालिकाओं को विभिन्न आकार जैसे- आयत, वर्ग, त्रिभुजकार इत्यादि को स्पर्श कर पहचानने हेतु दिया जायेगा।
- घ्राण कौशल (**Smelling Skill**) संबंधी प्रतियोगिता :-इस प्रतियोगिता के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतियोगिताएं आयोजित करवायी जायेंगी
  - ◆ विभिन्न फलों/फूलों की पहचान-उक्त प्रतियोगिता में पूर्ण दृष्टिबाधित बालक-बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के फल/फूलों इत्यादि को सूंघकर पहचानने हेतु दिया जायेगा।
  - ◆ विभिन्न मसालों की पहचान-उक्त प्रतियोगिता में पूर्ण दृष्टिबाधित बालक-बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे-हल्दी, धनिया, लौंग, हींग इत्यादि को सूंघकर पहचानने हेतु दिया जायेगा।
- श्रवण कौशल (**Auditory Skill**) संबंधी प्रतियोगिता :-इस प्रतियोगिता के अन्तर्गत पूर्ण दृष्टिबाधित बालक-बालिकाओं हेतु निम्नांकित प्रतियोगिताएं आयोजित करवायी जायेंगी -
  - ◆ आवाज द्वारा सहपाठियों की पहचान-उक्त प्रतियोगिता में बालक-बालिकाओं से उनके विद्यालय में अध्ययनरत सहपाठियों की पहचान उनकी आवाज के द्वारा करवायी जायेगी।
  - ◆ विभिन्न प्रकार के आवाजों की पहचान-उक्त प्रतियोगिता में बालक-बालिकाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के आवाजों जैसे- विभिन्न प्रकार की घंटियों यथा- साईकिल की घंटी, ऑफिस की घंटी, मन्दिर की घंटी इत्यादि की आवाज की पहचान करवायी जायेगी।

## अन्य गतिविधियाँ :-

विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु निबंध लेखन, कवीज प्रतियोगिता, पोरटर निर्माण एवं पेन्टिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाना है।

### प्रतियोगिता कार्यक्रम में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाये :-

- स्पर्द्धा में यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रतिस्पर्द्धा में दोष (Disability) व आयु की लगभग समानता हो। उक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन में आयु अनुसार बालक एवं बालिकाओं के अलग-अलग समूह बनाये जावेंगे, जिसमें आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत सामान्य बालक-बालिकाओं की भागीदारी भी की जा सकेगी। प्रतियोगिता संबंधी गतिविधियों में इन विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु सामान्य बालक-बालिकाओं के साथ सहयोगात्मक एवं सकारात्मक तुलना का अवसर प्रदान कर इनमें विश्वास जाग्रत किया जा सके।
- प्रतियोगिताओं के संचालन एवं निर्णय हेतु अधिकतम दो शारीरिक शिक्षकों को बुलाया जा सकेगा एवं आवश्यकतानुसार संदर्भ शिक्षकों की सहायता ली जा सकेगी। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
- प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बालक-बालिकाओं के चयन हेतु निर्णायक मण्डल का गठन किया जाये, जिसमें विषय के विशेषज्ञ आवश्यक रूप से सम्मिलित हो।
- प्रतियोगिता के प्रथम एवं द्वितीय, तृतीय विजेताओं एवं अन्य सभी संभागियों को सांत्वना पुरस्कार एवं प्रमाण पत्रों का वितरण किया जावेगा।
- वातावरण निर्माण कार्यक्रम का आयोजन यथा संभव जिला स्तर पर स्थापित संदर्भ केन्द्र वाले विद्यालय में किया जाये।
- संभागियों के रात्रि विश्राम हेतु सुरक्षित एवं उपयुक्त स्थान की व्यवस्था की जावेगी।
- सभी कार्मिकों का रात्रि विश्राम आवश्यक रूप से बालक-बालिकाओं के साथ ही रहेगा।
- बालक-बालिकाओं को रात्रि विश्राम की पृथक्-पृथक् व्यवस्था की जायेगी। बालिकाओं के साथ महिला शिक्षिका का होना अनिवार्य होगा।

### द्वितीय दिवस (03.12.2021)

नोट :- इस वर्ष इस गतिविधि को **Online** आयोजित करवाया जाना है। अतः वातावरण निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों में **Online** होने वाली गतिविधियों का ही आयोजन करवाया जाये।

कार्यक्रम के आयोजन हेतु द्वितीय दिवस समय सारणी निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	समय
1	रैली आयोजन	9.30 से 11.30 तक
2	जलपान	11.30 से 11.45 तक
4	प्रदर्शनी का उद्घाटन, अवलोकन एवं वृक्षारोपण	11.45 से 1.30 तक
5	भोजन	1.30 से 2.30 तक
6	अनुभव शेयर एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन	2.30 से 4.00 तक
7	उद्बोधन	4.00 से 4.30 तक
8	पुरस्कार वितरण	4.30 से 5.00 तक
9	धन्यवाद ज्ञापन	5.30 बजे

## **द्वितीय दिवस गतिविधि विवरण :-**

- कार्यक्रम का प्रारंभ रैली से किया जाएगा। रैली में विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के संबंध में जागरूकता लाने, समग्र शिक्षा अभियान की योजनाओं की जानकारी से संबंधित झाँकी, फ्लैक्स, बैनर एवं नारे लिखी हुई तथियों का प्रदर्शन किया जाएगा। रैली को जिला मुख्यालय के प्रमुख मार्ग से गुजारा जाएगा। रैली का समापन आयोजन स्थल (जहाँ प्रदर्शनी एवं अन्य गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी) पर किया जायेगा।
- कार्यक्रम आयोजन स्थल पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं यथा संदर्भ कक्ष, ब्रेलबुक्स, लार्ज प्रिन्ट बुक्स, ब्रेलकिट, विभिन्न अंग-उपकरण, सर्जरी के फोटोग्राफ्स आदि की स्टॉल लगाकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ-साथ अन्य समस्त गतिविधियों की जानकारियाँ भी प्रदर्शित की जाएंगी।
- कार्यक्रम आयोजन के दौरान वृक्षारोपण कार्य भी किया जायेगा।
- जिले में दिव्यांगता के साथ सफलतापूर्वक जीवन यापन करने वाले एक या दो सफल व्यक्तियों को मंच पर बुलाया जाकर इनके सफलता के अनुभव शेयर किये जाएंगे।
- होमबेर्सड एज्यूकेशन के ऐसे बच्चे जिन्हें मुख्यधारा से जोड़ा गया है तथा राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत अन्य विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को मंच पर बुलाया जाकर इनके अनुभव शेयर किये जाएंगे।
- कार्यक्रम में भाग लेने हेतु जिले के सभी ब्लॉक से विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं, इनके सहपाठियों (10 प्रतिशत सामान्य बालक-बालिकाओं), इनके अभिभावकों एवं विद्यालय के शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा।

## **वित्तीय मानदण्ड -**

- कार्यक्रम हेतु प्रति जिला अधिकतम ₹20,000/- (बीस हजार रुपये मात्र) का प्रावधान है।
- दो दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन पर प्रति जिला अधिकतम ₹ 20,000/- (बीस हजार रुपये मात्र) का व्यय 'Environment Building programme' उपमद के अन्तर्गत निम्नानुसार किया जा सकेगा :—
  - कार्यक्रम समाप्ति उपरान्त व्यय समायोजन 15 दिवस में किया जाकर व्यय प्रविष्टि दिसम्बर माह की एमपीआर में करके PRABANDH Portal पर ही आवश्यक रूप से की जाये।
  - जिले में अन्य सरकारी विभागों द्वारा यदि दिव्यांगता के क्षेत्र में कोई पुरस्कार दिया जाता है तो प्रयास किया जाए कि वह इसी कार्यक्रम के दौरान प्रदान किये जाएँ एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाए।
  - यदि जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो दोनों समारोह आपसी समन्वय द्वारा एक ही स्थान पर आयोजित किये जाने के प्रयास किये जावे।

- कार्यक्रम में भामाशाहों/दान-दाताओं का सहयोग लिया जाकर प्रभावी आयोजन किया जा सकता है।
- कार्यक्रम के प्रभावी आयोजन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के क्रम में विभिन्न संचार माध्यमों जैसे- एफएम रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, व्हाट्सएप ग्रुप, समाचार पत्रों आदि का सहयोग लिया जा सकता है।
- प्रतिवेदन बुकलैट कार्यक्रम आयोजन के उपरान्त 7 दिवस में परिषद् मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- वातावरण निर्माण कार्यक्रम की गतिविधियों का आयोजन परिस्थितियों के अनुसार Online किया जाना है।
- सूचना PRABANDH Portal पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें।

➤ लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

**नोट:-** (i) गतिविधि संचालन के दौरान कोविड-19 के सन्दर्भ में गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों की पूर्णता से पालना किया जाना सुनिश्चित करें।  
(ii) इस वर्ष वातावरण निर्माण कार्यक्रम की गतिविधियों का आयोजन परिस्थितियों के अनुसार Online किया जाना है।

*भंवर लाल*

(डॉ. भंवर लाल)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

दिनांक 17/ 8/ 2021

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2021-22/२५८९

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं आयुक्त, राज्य स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
9. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

*दृष्टि*  
(डॉ. दृष्टि शर्मा)

अति० राज्य परियोजना निदेशक